न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 108/2021 दायर दिनाँक 25.06.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. मुकारब खां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मुन्शीखां पुत्र बगतावर खां 2. रमजान खां पुत्र बगतावर खां 3. इकबाल खां पुत्र बगतावर खां 4. हाकमअलीखां पुत्र अलीमखां 5. बिदामबानो पत्नि हबीब खां 6. सिकन्दर खां पुत्र हबीब खां 7. इरफान खां पुत्र हबीब खां 8. गुलशेर खां पुत्र हबीब खां 9. महबूब खां पुत्र अलीमखां 10. हसनबानो पत्नि बाबूखां 11. नूरमोहम्मद पुत्र बाबूखां 12. अलीशेर पुत्र बाबूखां 13. अब्दूलरहमान पुत्र बाबू खां 14. शहनाजबानो पुत्री बाबूखां 15. अजमत खां पुत्र अलीमखां समस्त जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 16. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 12.08.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा छापरी खर्दु पटवार हल्का छापरी खुर्द की सरहद में खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 15 की पैत्रिक व सामलाती कब्जा काश्त की जमीन है।

यह है कि मेहरबाखां के दो पुत्र बगतावरखां व अलीमखां हुए और प्रत्येक का उपरोक्त खेतो पर 1/2—1/2 हिस्सा था। अलीमखां के पांच पुत्र मुकारबखां, हाकमअली, हबीबखां, महबूबखां, बाबूखां, अजमतखां हुए जिनमें हबीब खां व बाबूखां फौत हो चूके है। हबीबखां के वारिसान प्रतिवादी संख्या 05 ता 09 है तथा बाबूखां के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 [illegible] इसी प्रकार बगतावर के चार पुत्र पुसेखां, मुन्शीखां, [illegible] व जेनमबानो हुए जिनमें पुसेखां कुंवारा ही फौत हो चूका है [illegible] भी फौत हो चूकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:41:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि मेहरबाखां के दो पुत्र बगतावरखां व अलीमखां ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त खेतो का मौखिक बंटवारा कर अलग–अलग 1/2–1/2 हिस्से पर काश्त करते थे। उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 काश्त कर रहे है। वादी ने अपने नजरी नक्शा अनुसूची "क" में बन्टवारे के अनुसार अपने बंट को दर्शाया गया है।

(क) वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 15 के बंट व कब्जा काश्त का खेत – मौजा छापरी खुर्द पटवार हल्का छापरी खुर्द की शरहद में खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर में से अलीमखां के 1/2 हिस्सा अर्थात 2.385 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार।

(ख) प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बन्ट व कब्जा काश्त का खेत – मौजा छापरी खुर्द पटवार हल्का छापरी खुर्द की शरहद में खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.77000 हैक्टर में से बगतावर खां के 1/2 हिस्सा अर्थात 2.385 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार।

यह है कि बन्टवारा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेत पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 15 का अपने बढेरो के वक्त से कब्जा काश्त है। जमीन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 04 ता 15 की जमीन की सींव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 15 अपने बन्ट व कब्जे काश्त की जमीन का बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा पेश है।

वादी प्रार्थना इस प्रकार है–

(क) कि वाद की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 इस अमर की सादर फरमाई जावें कि मौजा छापरी खुर्द पटवार हल्का छापरी खुर्द की शरहद में खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर की खातेदारी वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार बन्ट व कब्जा काश्त व वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा अनुसूची "क" के अनुसार अलग–अलग घोषित किया जावें तथा खातेदारी में से पुसेखां पुत्र बगतावरखां, जैनमबानो पत्नि बगतावरखां, हबीबखां पुत्र अलीमखां, बाबूखां पुत्र अलीमखां फौत होने से उनका नाम खातेदारी से हटाया जावें।

(ख) कि मौजा छापरी खुर्द पटवार हल्का छापरी खुर्द की शरहद में खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर का मौके पर कब्जा कात के अनुसार बन्टवारा वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार नजरी नक्शा के अनुसार जमीन का बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 15 व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस से कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 15 का 1/2 हिस्सा व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग बन्ट में दिलाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी ने अपना शपथ–पत्र पेश किया। यह है कि उक्त नजरी नक्शे में दर्शित खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर ग्राम छापरी खुर्द में प्रति[illegible] तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही [illegible] में [illegible] जाने का आदेश पारीत किया।

रेकर्ड का अवलोकन किया। [illegible] तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः हस्व दावा मौजा सरहद छापरी खुर्द के खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर । वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। दावा नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **12.08..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 108/2020 **दायर दिनाँक 25.06.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मुकारब खां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मुन्शीखां पुत्र बगतावर खां 2. रमजान खां पुत्र बगतावर खां 3. इकबाल खां पुत्र बगतावर खां 4. हाकमअलीखां पुत्र अलीमखां 5. बिदामबानो पत्नि हबीब खां 6. सिकन्दर खां पुत्र हबीब खां 7. इरफान खां पुत्र हबीब खां 8. गुलशेर खां पुत्र हबीब खां 9. महबूब खां पुत्र अलीमखां 10. हसनबानो पत्नि बाबूखां 11. नूरमोहम्मद पुत्र बाबूखां 12. अलीशेर पुत्र बाबूखां 13. अब्दूलरहमान पुत्र बाबू खां 14. शहनाजबानो पुत्री बाबूखां 15. अजमत खां पुत्र अलीमखां समस्त जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 16. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **12.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा मौजा सरहद छापरी खुर्द के खेत खसरा सं0 225 रकबा 4.7700 हैक्टर। वाद में पेश नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती है। दावा नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **12.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:11:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner